न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 102/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 08.06.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

अनोख बाई विधवा श्री मोतीलाल जाति धाकड़, निवासी ताथेड़, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

1. उर्मिला पत्नी श्री बृजमोहन जाति धाकड़, निवासी ग्राम व पोस्ट झालरी, तहसील सांगोद, जिला कोटा
2. ज्योति नागर पत्नी श्री रणजीत नागर जाति धाकड़, निवासी 131, तालाब के पास, केशोरायपाटन, जिला बून्दी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र कुमार मालव, अभिभाषक – अपीलांट

::निर्णय::

दिनांक 31.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 4/2020(अपील) बउनवान अनोख बाई बनाम उर्मिला वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक खातेदार बनवारी का फौती नामांतरकरण संख्या 1442 दिनांक 25.11.2019 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश की जाकर कथन किया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के द्वारा विवादित नामांतरकरण मृतक बनवारी के वारिसों को बिना सूचित किये तथा उत्तराधिकार की जांच किये बिना ही तस्दीक किया गया है। मृतक बनवारी गत 25 वर्षों से लापता है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण सिविल न्यायाधीश कोटा उत्तर के मिसल सं0 112/2018 के निर्णय दिनांक 03.07.2018 के आधार पर तस्दीक

अति. सं. आयुक्त
कोटा

किया गया है, जबकि इस निर्णय में मात्र बनवारी को 7 वर्ष से अधिक समय से लापता होने से मृतक घोषित किया है। अपीलांट उसकी माता है तथा उत्तराधिकार कानून 1956 की प्रथम अनुसूची का वारिस है, जिससे मृतक बनवारी की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी हैं। अतः उक्तानुसार नामांतरकरण संख्या 1442 दिनांक 25.11.2019 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 04/2020(अपील) बउनवान अनोख बाई बनाम उर्मिला वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 से प्रश्नगत प्रकरण में खातेदार बनवारी के मृत घोषित होने के बाद बनवारी की सम्पत्ति पर प्रथम अधिकार वास्तव में पत्नि एवं पुत्री का ही होना मानते हुए तदानुसार उक्त आशय की अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की गई।

3. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार कानून के अनुसार मृतक बनवारी की मां अपीलांटा का अधिकार नहीं होना मानकर हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 8 की प्रथम अनुसूची की अनदेखी कर प्रथम अधिकार पत्नी व पुत्री का मानने में भारी त्रुटि की है, जबकि अपीलांटा ने प्रथम अनुसची व मृतक की माता के अधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों को प्रस्तुत किया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा दीवानी न्यायालय के निर्णय के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1442 सहीं मानने में त्रुटि की है, जबकि निर्णय दिनांक 27.02.2019 में केवल मात्र बनवारी को लापता होने से मृतक घोषित किया था। मृतक के वारिस कौन–कौन है का निर्णय नहीं दिया था। इस प्रकार मृतक घोषित होने के उपरांत मृतक के वारिसों की जांच ही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्र. 1 को पत्नी व रेस्पो0 क्र. 2 को पुत्री बिना जांच के मानने में त्रुटि की है, क्योंकि मृतक बनवारी की पत्नी तो बनवारी के जीवनकाल में ही बृजमोहन के नाते जा चुकी थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा मृतक बनवारी के वारिसों के संबंध में दीवानी न्यायालय में वाद जेरकार होने पर भी अपील का निर्णय करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बावजूद सूचना रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई।

31-7-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खातेदार बनवारी लाल वर्ष 1995 से लापता हो गया था तथा बनवारी लाल की पुत्री के द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। सिविल न्यायाधीश कोटा उत्तर द्वारा उक्त प्रस्तुत वाद के समय दिनांक 02.07.2018 से बनवारी लाल नागर को जीवित नहीं होना तथा उनकी मृत्यु होना घोषित किया गया। इसके उपरांत विचारण न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1442 दिनांक 25.11.2019 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उत्तराधिकार कानून के अनुसार मृतक बनवारी की मां अपीलांटा का अधिकार नहीं मानकर हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 8 की प्रथम अनुसूची की अनदेखी कर प्रथम अधिकार पत्नी व पुत्री का मानने में भारी त्रुटि की है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रथम श्रेणी के वारिसों में पुत्री, पुत्री, विधवा एवं माता आते है, इसके उपरांत भी प्रथम श्रेणी के वारिस होने पर भी माता (अपीलांटा) को अपने अधिकार से वंचित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों को नजरअंदाज किया जाकर केवल पत्नी एवं पुत्री को ही उत्तराधिकार मानकर अपीलांट की अपील खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2025(2) Page No. 768 पेश किये।

5. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस एकपक्षीय विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक खातेदार बनवारी के फौती नामांतरकरण संख्या 1442 दिनांक 25.11.2019 के विरूद्ध अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 25.04.2022 से प्रश्नगत प्रकरण में खातेदार बनवारी के मृत घोषित होने के बाद बनवारी की सम्पत्ति पर प्रथम अधिकार वास्तव में पत्नि एवं पुत्री का ही होना मानते हुए अपील अपीलांट खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा नामांतरकरण संख्या 1442 दिनांक 25.11.2019 सिविल न्यायाधीश कोटा उत्तर के निर्णय दिनांक 27.02.2019 के आधार पर तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व मृतक खातेदार बनवारी लाल के विधिक वारिसान की जांच नहीं किया जाना प्रकट होता है। साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा नामांतरकरण खोले जाने से पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए उक्त नामांतरकरण तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत पुरूष के निर्वसीयती फौत होने पर प्रथम श्रेणी के दायादों में पुत्र,

पुत्री, विधवा पत्नी एवं माता शामिल होने से माता को भी निर्वसीयती सम्पति न्यायगत होगी। तहसीलदार लाड़पुरा के द्वारा उक्त नामांतरकरण सिविल न्यायाधीश कोटा उत्तर के निर्णय दिनांक 27.02.2019 के आधार पर तस्दीक किया गया, जबकि सिविल न्यायाधीश कोटा उत्तर के दीवानी वाद संख्या 349/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2019 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र. 2 ज्योति नागर के द्वारा उक्त वाद खातेदार बनवारी लाल नागर को मृत घोषित करते हुए मृत्यु की घोषणा किये जाने बाबत् पेश किये जाने पर सिविल न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद में विचारणीय बिन्दु "क्या वादिनी स्वयं के पिता बनवारी लाल नागर पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी थेकडा, जिला कोटा की मृत्यु घोषणा करवाने के अधिकारिणी है" के संबंध में रेस्पो0 क्र. 2 ज्योति नागर को उक्त आशय का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारिणी होना मानते हुए तदानुसार वाद प्रस्तुत करने के समय दिनांक 02.07.2018 से बनवारी लाल नागर के जीवित नहीं होने तथा उनकी मृत्यु होने की घोषणा जारी की गई। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों के विपरित जाकर बनवारी के मृत घोषित होने के बाद बनवारी की सम्पत्ति पर प्रथम अधिकार केवल पत्नी एवं पुत्री की ही होना माना है, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के उपबन्धों के अनुकुल नहीं होने से उक्त निर्णय को न्यायोचित नहीं पाते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2020(अपील) बउनवान अनोख बाई बनाम उर्मिला वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, लाड़पुरा द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 1442 को मृतक बनवारी के हिस्से की हद तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, लाड़पुरा को निर्देशित किया जाता है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के दायादों में पुत्र, पुत्री, विधवा पत्नी एवं माता शामिल होने से उक्तानुसार मृतक खातेदार बनवारी लाल की माता का भी नाम शामिल करते हुए पुनः नामांतरकरण तस्दीक किया जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

31-7-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा